

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी

आवश्यक सूचना

दिनांक: 22.11.2024

हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी के निर्देशानुसार सत्र 2024-25 से वे ही छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं जिनकी महाविद्यालय में उपस्थिति 75% होगी। 75% उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में उनकी छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आना सम्भव नहीं होगा। अतः छात्रवृत्ति आवेदन करने वाले छात्र ये सुनिश्चित कर लें कि उनकी कक्षाओं में 75% उपस्थिति हो।



प्रो० (रजनीश कुँवर)
प्राचार्य